कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007
). : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :........................ / सम्बद्धता / 2020

दिनांक :..

ई–मेल / अत्यावश्यक

कार्यालय–ज्ञाप

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या : 2270 / सत्तर–1–2020–16(20) / 2011, दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें शैक्षणिक सत्र 2020–21 एवं 2021–22 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सीटों के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्राविधान अंकित किया गया है :–

1. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय की परिनियमावली में यह व्यवस्था है कि महाविद्यालयों में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ **बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।**
2. शासनादेश संख्या : सी0एम0270 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 एवं शासनादेश संख्या – 07 / 2016 / 749 / सत्तर–1–2016–16(20) / 2011, दिनांक 21 जुलाई, 2016 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020–21 एवं 2021–22 में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अनुमति दी जाती है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालय में उनकी आवश्यकता, उनमें उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों आदि की उपलब्धता का निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण करते हुये परिनियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही इस प्रकार की जाय कि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं तद्नुसार विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(वी0पी0 कौशल)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

संख्या : Af/21993-97 दिनांक : 23/12/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. इंचार्ज, वेबसाईट / कम्प्यूटर केन्द्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. उप कुलसचिव (प्रवेश)।
6. गार्ड फाईल।

उप कुलसचिव (सम्ब.)